न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप, जिला जोधपुर
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादी**

1. खुशालाराम पुत्र अमूराम
2. तीलाराम पुत्र अमूराम
3. माणकराम पुत्र अमूराम

जाति मेगवाल निवासी रोहिणा
तहसील बाप जिला जोधपुर

अमूराम पुत्र दुलाराम
जाति मेगवाल नि. रोहिणा
तह0 बाप जिला जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 118/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मदनगोपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 04.03.2020

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 134 रकबा 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 137/1 रकबा 168–09 बीघा व खसरा नम्बर 190/1 रकबा 71–19 बीघा कुल रकबा 264–00 बीघा काश्त भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी के पिता दुलाराम पुत्र मोडाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात् प्रस्तुत किये।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनगोपाल शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वादीगण ने साक्ष्य के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत रोहिणा द्वारा जारी प्रतिवादी का वारिस प्रमाण पत्र व गवाह अमूराम, खुशालाराम, तीलाराम तथा माणकराम के शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिये पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर

के खसरा नम्बर 134 रकबा 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 137/1 रकबा 168–09 बीघा व खसरा नम्बर 190/1 रकबा 71–19 बीघा कुल रकबा 264–00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एंव प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामांतरकरण व सरपंच ग्राम पंचायत रोहिणा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी के जाईन्दा पुत्र है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 134 रकबा 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 137/1 रकबा 168–09 बीघा व खसरा नम्बर 190/1 रकबा 71–19 बीघा कुल रकबा 264–00 बीघा की काश्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.06.09 13:47:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: